राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 2012 जयपुर दिनांकः 04 JAN 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान

विषय – "काम मांगों विशेष अभियान" – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग, जॉब कार्डो का सत्यापन एवं नवीन जॉब कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग – विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 01.08.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत फार्म नं0 6 की उपलब्धता ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराये जाने एवं फार्म नं0 6 की दिनांकित रसीद भी आवश्यक रुप से आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराने बाबत् विभागीय निर्देश समय समय पर जारी किये गये है। इसी प्रकार वंचित ग्रामीण परिवार जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक है, के नवीन जॉब कार्ड जारी किये जाने के निर्देश समय समय पर पूर्व में जारी किये गये है।

मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की रोजगार की वास्तविक मांग दर्ज नहीं हो पा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन जॉब कार्ड जारी करने, जारी जॉब कार्डों का सत्यापन एवं योजना के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस के रुप में अभियान आयोजित करने के निर्देश दिये।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में योजना के क्रियान्वयन में आपकी महती भूमिका है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप **दिनांक 05.01.2019 से 06.01.2019 की समयावधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर (काम मांगों विशेष अभियान) के रुप में दो दिन का विशेष रोजगार दिवस का आयोजन करावें।** उक्त दिवस पर कराये जाने वाले कार्यों का विवरण संलग्न है।

विभागीय निर्देशों के क्रम में उक्त अभियान के पश्चात प्रत्येक गुरुवार को भी नियमित रुप से रोजगार दिवस मनाया जाना सुनिश्चित करे, तथा रोजगार दिवस आयोजन किये जाने की प्रगति की समीक्षा लगातार करें।

अधिनियम के प्रावधानानुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का है। अतः आप विकास अधिकारियों सह कार्यक्रम अधिकारी को दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं यदि किसी भी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में कोताही पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिला कलक्टरों को निम्न प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए अधिकृत किया हुआ है :–

- **महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 25,**
- **कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.02.2010,**
- **पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 91 (क)**
- **संविदा कार्मिकों के विरुद्ध संविदा अनुबन्ध के अनुसार।**

कृपया विभागीय दिशा– निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा0 वि0 एवं पं0 रा0 विभाग।

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
5. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
8. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क ईजीएस को प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने हेतु।
9. एमआईएस सैल में भेजकर लेख है कि भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस

काम मागों विशेष अभियान'' – रोजगार दिवस

स्थान :– ग्रा.पं. क्षेत्र में नरेगा कार्यालय अथवा ग्रा.पं. कार्यालय।

रोजगार दिवस :– दिनांक 05.01.2019 से 20.01.2019 तक विशेष अभियान एवं प्रत्येक गुरूवार को नियमित ।

उद्देश्य –

1. श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में जानकारी देना।
2. रोजगार के लिए इच्छुक परिवारों को काम की मांग के लिए आवेदन पत्र (फार्म नं0 6) उपलब्ध कराना एवं भरे हुए आवेदन प्राप्त कर दिनांकित रसीद प्रदान करना।
3. जो श्रमिक फार्म नं0 6 भरने में असमर्थ है उनके फार्म नं0 6 भरने की कार्यवाही / भरने में सहयोग प्रदान करना।
4. श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग समूह में / एकल भी की जा सकती है।
5. श्रमिकों के जॉबकार्ड पंजीकरण/संशोधन/अपडेशन।
6. श्रमिकों को भुगतान से सम्बन्धित जानकारी देना ।
7. योजनान्तर्गत शिकायतें प्राप्त करना एवं पूर्व में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की जानकारी आम जनता एवं शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना।
8. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हेतु दीवार लेखन सुनिश्चित करना।
9. रोजगार दिवस के बारे में जागरूकता।
10. मनरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी भुगतान में विलम्ब, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता की जानकारी देना।
11. योजना के प्रावधानों, दिशा–निर्देशों, प्रगतिशील एवं पूर्ण कार्यो का विवरण देना।
12. वार्ड पंचों को उनके द्वारा प्रपत्र 6 की रसीद देने के अधिकार के बारे में प्रशिक्षित करना।
13. योजनान्तर्गत चल रहे एवं इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण /चल रहे कार्यो पर नागरिक सूचना बोर्ड (Citizen information Board) निर्धारित मानकों के अनुरुप लगाया जाना सुनिश्चित करना।
14. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन।
15. श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु संचालित योजनाऐं (प्रति संलग्न) की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कराया जाना।

रोजगार दिवस के सफल आयोजन हेतु विशेष अभियान की तिथियों की जानकारी विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से की जावे, तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजन तिथि से पूर्व समस्त आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराई जावे, तथा गुड गर्वनेन्स से सम्बन्धित चारों बिन्दुओं यथा जॉब कार्ड अपडेशन, नागरिक सूचना बोर्ड, 7 रजिस्टर एवं कार्य की पत्रावली के संधारण के सम्बन्ध में आदिनांकित होने का प्रमाण पत्र दिनांक 20 जनवरी 2019 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–1

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाऐं

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>देय हितलाभ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शुभशक्ति योजना</td><td>हिताधिकारियों की व्यस्क अविवाहिता बेटियों तथा महिला हिताधिकारियों को उद्यमिता से सशक्त व आत्म निर्भर बनाने तथा विवाह हेतु रू. 55,000/– प्रोत्साहन राशि</td></tr>
<tr><td>2</td><td>निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना</td><td>हिताधिकारियों के बच्चो को कक्षा 6 से आगे तक की पढाई के लिए छात्रवृत्ति राशि रू. 8,000 से 25,000/– तक
8वीं कक्षा से आगे तक के मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रू. 4,000 से 35,000/– तक (पात्रता अनुसार)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना।</td><td>हिताधिकारियों द्वारा अपने बैंक खाते से निम्न योजनाओं की प्रीमियम/अंशदान राशि का मण्डल द्वारा पुनर्भरण –
<table>
<tr><th>योजना का नाम</th><th>मण्डल द्वारा अशंदान/प्रीमियम</th></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना</td><td>100 प्रतिशत (रू. 12/–)</td></tr>
<tr><td>प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना</td><td>50 प्रतिशत (रू. 165/–)</td></tr>
<tr><td>अटल पेंशन योजना</td><td>रू. 1000 पेंशन के लिऐ देय अंशदान का 50 प्रतिशत।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना</td><td>हिताधिकारियो को हाऊसिंग फॉर ऑल (अरबन) योजना, अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य आवास योजना में, पात्रता अनुसार आवास प्राप्त करने के लिऐ अथवा स्वयं का आवास निर्माण करने के लिये मण्डल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रू. तक अनुदान।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>हिताधिकरी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दशा में सहायता योजना।</td><td>दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि रू. 5.00 लाख, पूर्ण स्थाई अपगंता होने पर 3.00 लाख रू. आंशिक स्थाई अपंगता होने पर 1.00 लाख रु., घायल होने पर राशि रू. 5,000 से 20,000 रु तक तथा सामान्य मृत्यु होने पर 2.00 लाख रू.।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रसूति सहायता योजना।</td><td>महिला पंजीकृत हिताधिकारी अथवा पंजीकृत पुरूष हिताधिकारी की पत्नी के प्रसव में पुत्र जन्म पर 20,000 रू. एवं पुत्री जन्म पर 21,000 रू।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना।</td><td>सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर राशि रू. 2.00 लाख तथा मृत्यु होने पर 3.00 लाख रू.।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना।</td><td>निर्माण श्रमिक द्वारा अपने कार्य या व्यवसाय से सम्बन्धित औजार/टूलकिट खरीदने पर 2000/– रूपये अथवा वास्तविक क्रय मूल्य, जो भी कम हो, का पुर्नभरण।</td></tr>
</table>

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./133428/2013 जयपुर, दिनांक : 29 DEC 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

Most Urgent

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत Good Governance के तहत की गयी पहल पर कार्यवाही के संबन्ध में।**

सदर्भः– विभागीय पत्रांक दिनांक 03.08.2017, 04.09.2017, 01.11.2017, 27.11.2017 तथा 08.12.2017 एवं अ.शा. समसंख्यक पत्रांक दिनांक 04.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **Good Governance** के तहत की गयी निम्न पहल पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए है।

1. **प्रत्येक कार्यस्थल पर स्थायी "नागरिक सुरक्षा बोर्ड"** लगाना,
2. **प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 7 mandatory रजिस्टर का संधारण** करना,
3. प्रत्येक कार्यस्थल पर तथा ग्राम पंचायत में **कार्य की पत्रावली का संधारण**,
4. **नये जॉबकार्ड** जारी करना तथा इनका **नवीनीकरण, अद्यतन तथा सत्यापन** करना,

जिलों के भ्रमण के दौरान यह महसूस किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबन्धित कार्मिकों को उक्त के संबन्ध में जानकारी नही है। दिनांक 18.12.2017 को राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस) की बैठक में उक्त के संबन्ध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुतीकरण की प्रति मेल द्वारा सभी जिलों को प्रेषित की जा चुकी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार का यह मत है कि उक्त के संबन्ध में योजना से संबन्धित सभी कार्मिकों मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, आई.ई.सी. कार्मिक, सहायक अभियन्ता, कार्यक्रम अधिकारी सह विकास अधिकारी, लेखा एवं तकनीकी से संबन्धित सभी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिये।

अतः इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जावे। इस संबन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिशिचित की जावे :–

Scanned by CamScanner

1. प्रशिक्षण की कार्यवाही दिनांक 07.01.2018 तक पूर्ण की जानी है। इस अवधि तक प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण कलैण्डर बनाया जाकर दिनांक 27.12.2017 तक राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
2. प्रशिक्षण योजना से जुडे समस्त कार्मिकों को उपलब्ध कराया जावे।
3. प्रशिक्षण सुविधानुसार जिला स्तर अथवा पंचायत समिति स्तर पर कराया जा सकता है।
4. प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक मद से वहन किया जायेगा।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

May kindly ensure it personally

भवदीय

(रोहित कुमार) 25/12/17
सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
4. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यकम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-6

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला जयपुर

कार्य के लिए आवेदन

(देखें नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-2 का पैरा-9)

प्रेषित दिनांक.....................

सचिव, ग्राम पंचायत ..../कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति ....

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मुझे/हमें निम्नानुसार अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करावें। हम सभी निम्नानुसार 5 श्रमिकों के समूह में काम करने के इच्छुक हैं-

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड सं.	दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए	अवधि		बैंक/जी.एस.एस./पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खाता नं.	श्रमिक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
					माह	पखवाड़ा			
1									
2									
3									
4									
5									

क्रम संख्या-1 पर दर्ज आवेदक श्री .... सहित अन्य .... आवेदकों का नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत .... से रोजगार मांगने का आवदेन पत्र जरिये श्री/श्रीमती .... से दिनांक .... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर ग्राम सेवक/रोजगार सहायक

रसीद

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	पति/पिता का नाम	जॉब कार्ड सं.	दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए	अवधि		बैंक/जी.एस.एस./पोस्ट ऑफिस मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या	खाता नं.	श्रमिक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
					माह	पखवाड़ा			
1									
2									
3									
4									
5									

उक्त श्रमिकों का महात्मा गाँधी नरेगा योजनार्न्गत ग्राम पंचायत से रोजगार मांगने का आवदेन पत्र दिनांक ....